

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचला सम्पत्ति का विवरण, दर्श २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमान कनिष्ठा रामपुरी 2. वर्तमान पद सहायक उपनिरीक्षक (लेखा)  
 वर्तमान वेतन 8127-10 DA 6-9-10  
 का नाम के अनुसार

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि परच के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसी किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सुन्दौर	गृह (25x55) गल कोठी		2500000/- अनुमानित	स्वयं	विरासत के सख्तुकी द्वारा नामागिरी कर 24000/- पर स्वयं द्वारा भवन निर्माण कराया गया वर्ष 1989.		

• - जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य नही-राही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान मिति के पत्रों में लक्ष्य मूल्य उल्लेख न हो।  
 ••• इतम अल्पकालीन पट्टे भी सम्पत्ति है।  
 दिशाओं: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अन्तर्गत प्रथम लेखी, द्वितीय लेखी तथा तृतीय लेखी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह माहों की अवधि के पश्चात् यह अपेक्षा पूर्व या पश्चात् प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक के अर्जित द्वारा प्राप्त सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के बतारे दें।

हस्ताक्षर .....  
 श्रीमान कनिष्ठा रामपुरी  
 महा. पु. लेखा